संख्या- 1563 /सेक-2-पांच-16-7(92)/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 6 मई, 2016

विषय:- Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Rules 2007 के नियम-12 के अनुसार किशोर की आयु निर्धारण के संबंध में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-11फ/जे0जे0एक्ट-2007/2016'17/2570, दिनांक 05.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में मेडिकल मैनुअल 1966 (संशोधित 31.12.1968) के पैरा-234 से 237 तक में आयु के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने एवं शासन के चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4362/सेक-3-पांच-7-(40)/86, दिनांक 26.08.1986 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी आयु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत हैं। वर्तमान में Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Rules 2007 के नियम-12 के अनुसार किशोर की आयु निर्धारण की प्रक्रिया प्राविधानित है।

2- इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-824/2016 गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में उ0प्र0 में किशोर की उम्र निर्धारण एकल चिकित्साधिकारी द्वारा किये जाने के स्थान पर Juvenile Juctice (Care and protection of children) Rules 2007 Rule 12(3)(b) के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए उसके परामर्श से जुबेनाईल की उम्र निर्धारण किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में उपरोक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 में यह निर्देश दिये गये है कि किशोर के उम्र निर्धारण के संबंध में रिट-सी0 संख्या-8889/2011 Court on Its Own Motion vs Department of Women and Child Development में पारित मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश दिनांक 11.05.2012 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था प्रतिपादित की जाय। आदेश दिनांक 11.05.2012 में सरकारी चिकित्सालय एवं मेडिकल बोर्ड के संबंध में निम्नवत् निर्देश पारित किये गये हैं:-

"L. For the Government Hospitals and Medical Boards :

(i) All Government Hospitals shall constitute Medical Boards to carry out medical age examinations and shall give report not later than 15 days of request being made in this regard.

(ii) All the members of medical Board (physiologist, Dental examiner and Radiologist/Forensic expert) shall give their individual reports based on their respective examinations and the same shall be mentioned in the report, based on which the chairperson shall give the final opinion on the age within a margin of one year."

3- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में फिजियोलॉजिस्ट का पद सृजित नहीं है, जिसके कारण फिजियोलॉजिस्ट के स्थान पर उक्त बोर्ड में अस्थि रोग विशेषज्ञ को सदस्य के रूप

में रखा जाय।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-824/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 में संदर्भित मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक 11.05.2012 के दृष्टिगत Juvenile Juctice (Care and Protection of Children) Rules 2007 के नियम 12(3)(b) के प्रयोजनार्थ किशोर (जुवेनाईल) की उम्र के निर्धारण हेतु मेडिकल बोर्ड निम्नानुसार गठित किया जाय:-

(1)	मुख्य चिकित्साधिकारी	-	अध्यक्ष
(2)	अस्थि रोग विशेषज्ञ	-	सदस्य
(3)	रेडियोलॉजिस्ट	-	सदस्य
(4)	डेन्टल सर्जन	-	सदस्य

समिति में नामित विशेषज्ञ चिकित्सकों का नामांकन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के परामर्श से किया जायेगा। जनपद स्तर पर किसी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा मण्डल के किसी अन्य जनपद से विशेषज्ञ नामित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों का अभिमत प्राप्त करके अध्यक्ष आयु निर्धारण में अपना अन्तिम अभिमत एक वर्ष के मार्जिन के साथ आयु प्रमाण-पत्र 15 दिन के अन्दर जारी करेंगे।

5- चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4362/सेक-3-पांच-7-(40)/86, दिनांक 26.08.1986 को उक्त सीमा तक अवक्रमित/संशोधित किया जाता है।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1563 /सेक-2-पांच-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचि, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7- चिकित्सा अनुभाग-9।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।